संख्या-1052/71-1-2014-जी-103/2014

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2014

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2013-14 में मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी एवं मेरठ के पैथालॉजी विभाग के बायोकैमिस्ट्री एनलाईजर एवं सी0बी0सी0 काउन्टर में प्रयुक्त होने वाले क्लोज सर्किट रीजेन्ट/किड्स के क्रय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/1070, दिनांक 20.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4,10,00,000/- (रूपये चार करोड़ दस लाख मात्र) की बचत को सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा में मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) एवं मानक मद 43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख मात्र), लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर में मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 75,00,000/-(रूपये पचहत्तर लाख मात्र) एवं मानक मद 43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख मात्र), न्यू स्वरूप रानी नेहरू तथा बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद में मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) एवं मानक मद 43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 20,00,000/-(रूपये बीस लाख मात्र), महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय में मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) एवं मानक मद 43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख मात्र) तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ में मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0 60,00,000/-(रूपये साठ लाख मात्र), 42-अन्य व्यय में रू0 5,00,000/-(रूपये पाँच लाख मात्र) एवं मानक मद 43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख मात्र) कुल रू0 4,10,00,000/-(रूपये चार करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-15-मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल-02-सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा/03-लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर/04-न्यू स्वरूप रानी नेहरू तथा बाल चिकित्सालय, इलाहाबाद/07-महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी/08- सरदान बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ-39-औषधि तथा रसायन-42-अन्य व्यय-43-सामग्री और सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र-बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/899/दस-2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-1052(1)/71-1-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी एवं मेरठ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी एवं मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी एवं मेरठ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।